न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 175/2020
जीसीएमएस सं. – 2020/00221

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण :

1. किशोरचंद पुत्र घीसाराम
2. नारायणराम पुत्र घीसाराम
जातियान सुथार निवासीगण ग्राम सोवनिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

1. पारसराम पुत्र दुर्गाराम जाति सुथार निवासी ग्राम सोवनिया हाल जोधपुर।
2. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मन्सुर अली छीपा प्रार्थीगण की ओर से
श्री अब्दुल सलीम खान सिन्धी अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक : 01.01.2024

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम सोवनिया पटवार क्षेत्र सोवनिया, तहसील पीपाड़ शहर की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 431/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा संख्या 433 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है जिसके सबूत के रूप में जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की संलग्न पेश है। प्रार्थीगण अपने उक्त खसरा संख्या 431/1 व 433 में काबिज कास्त है तथा अपने उक्त खसरो में आने जाने के लिए गैर मुमकिन सड़क खसरा संख्या 495 से होकर प्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 491/1 व 437 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 436/1 की पश्चिमी माठ से होते हुए अपने खेत खसरा संख्या 433 व 431/1 में प्रवेश करते है। खसरा संख्या 436/1 रकबा 0.7281 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का है जिसकी पश्चिमी माठ के सहारे सहारे बने 13 फिट चौड़े रास्ते से होकर अपने खेत में कास्त के लिए जाते है तथा आवागमन का प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प उक्त रास्ते के अलावा नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें वादग्रस्त रास्ते को मार्क ए, बी, सी व डी के रूप में लाल स्याही से दर्शाया है जो इस प्रार्थना पत्र का भाग है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को दिनांक 17.07.2020 को ऐलानिया रूप से धमकियां दी कि वह अपने खेत खसरा संख्या 436/1 रकबा 0.7281 में से प्रार्थीगण को उनके खेत खसरा संख्या 431/1 व 433 में आने जाने नहीं देगा तथा उक्त वैकल्पिक रास्ते का उपयोग नहीं करने देगा न ही कास्त कार्य करने देगा। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

संख्या 1 को उक्त वैकल्पिक रास्ते को रोकने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 रास्ते का उपयोग करने से मना कर रहा है। प्रार्थीगण के पास श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष अपने खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वादग्रस्त खसरा व प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी ग्राम सोवनिया के निवासी है तथा उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार घोषित किये जाने वाले रास्ते की मुआवजा राशि राजस्थानी कास्तकारी अधिनियम के अनुसार अदा करने हेतु तैयार है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 431/1 व खसरा संख्या 433 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 436/1 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे 13 फीट चौड़ाई में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए.बी.सी. व डी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने के सादर आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानो के अनुसार फरमाये जावे व राजस्व रेकर्ड में उक्त घोषित किये जाने वाले रास्ते की तरमीम व नामांतरण इन्द्राज करने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमाया जावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील अब्दुल सलीम खान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब नही प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 433 व 431/1 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 436/1 पश्चिती मेड़ के सहारे-सहारे रास्ता की गई जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। संलग्न नजरी नक्शा फर्द का भाग हैं, चूंकि खसरा नम्बर 439/1 व 437 प्रार्थी स्वयं का खातेदारी खसरा नम्बर हैं। ग्राम सोवनिया के खसरा नम्बर 436/1 में नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु सं. एबीसीडी प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई मीटर में 38 एवं 4 मीटर चौड़ाई हैं। इस प्रकार 38 X 4 = 152 वर्गमीटर अर्थात 0.0152 हैक्टयर रकबा बनता हैं। जिसको ग्राम सोवनिया की डीएलसी दर 133508 रूपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि 4059 रूपये बनती हैं। चूंकि खसरा नम्बर 439/1 व 437 प्रार्थी किशोरचन्द के स्वयं की खातेदारी भूमि हैं। खसरा नम्बर 495 सोवनिया से गढ़सूरीया जाने वाली मौके पर डामर सड़क बनी हुई हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 431/1 व 433 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 436/1 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे 13 फीट चौड़ाई

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए, बी, सी, डी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने के सादर आदेश फरमाये जाने व राजस्व रेकर्ड में उक्त घोषित किये जाने वाले रास्ते की तरमीम व नामान्तरण इन्द्राज करने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपनी बहस में मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम सोवनिया के खसरा नम्बर 433 व 431/1 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 436/1 के पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये बिन्दु सं. मार्क **ABCD** अनुसार दिया जाना प्रस्तावित हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 433 व 431/1 में आने जाने हेतु खसरानम्बर 436/1 के पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे लाल स्याही से दर्शाया गया हैं चूकि खसरानम्बर 439/1 व 437 भी प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी खेत हैं। अतः ग्राम सोवनिया के खसरा नम्बर 437 व 431/1 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 436/1 के पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे लम्बाई मीटर में 38 एवं 4 मीटर चौड़ाई हैं। इस प्रकार 38 X 4 = 152 वर्गमीटर अर्थात 0.0152 हैक्टयर रकबा बनता हैं। जिसको ग्राम सोवनिया की डीएलसी दर 133508/– रूपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि 4059/– रूपये बनती हैं। प्रार्थीगण राशि 4059/– का डी.डी.अप्रार्थी सं. 1 के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राशि 4059/– रूपये का डी.डी. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्राथी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द व नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर